फिल्मों के आयात के दिशा-निर्देश

अप्रैल, 1997 से मार्च, 2002 तक की निर्यात और आयात नीति – सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और वीडियों फिल्मों के आयात की नीति

विदेश व्यापार महानिदेशक ने निर्यात और आयात नीति 1997-2002 के पैरा 4-11 में दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और वीडियो फिल्मों के आयात की नीति की अधिसूचना जारी की। यह नीति 1 अप्रैल, 1997 से लागू हुई और इसके लागू होने के साथ ही 12 अगस्त, 1992 को जारी सार्वजनिक नोटिस संख्या 38 (पी.एन)/92-97 के प्रावधान और समय-समय पर पहले किए गए सभी संशोधन रद्द हो गए। मौजूदा नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

(क) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र तथा सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान बिना लाइसेंस के सिनेमैटोग्राफ फीचर फिल्मों और वीडियो फिल्मों का आयात कर सकते हैं।

(ख) अन्य आयातक भी बिना लाइसेंस फिल्मों का आयात कर सकते हैं। बशर्ते कि उन्होंने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी अथवा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस कार्य के लिए नामित अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया हो कि आयात के लिए प्रस्तावित फिल्म -

(अ) भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार पा चुकी हो ; या

(ब) अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आधिकारिक खण्ड में शामिल की गई हो ; या

(स) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किसी प्रतिष्ठित फिल्म पत्रिका में फिल्म की अच्छी समीक्षा की गई हो ;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और प्रतिष्ठित फिल्म पत्रिकाओं की सूची संलग्नक में दी गई है। मंत्रालय समय-समय पर इन सूचियों में संशोधन कर सकता है।

(इ) फिल्म आयातक को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत जरूरी सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रमाणपत्र प्राप्त करने समेत, फिल्मों के वितरण और प्रदर्शन संबंधी सभी भारतीय कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

(ई) अनाधिकृत/चोरी किए गए प्रिंट वाली फिल्मों का आयात नहीं किया जा सकता।

(उ) भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की लिखित अनुमति के बिना भारतीय फिल्मों के विदेशी प्रिंट आयात नहीं किए जा सकते।

(ऊ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय उपरोक्त प्रावधानों को छोड़ सकता है या उनमें छूट दे सकता है, यदि वह मानता है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है।

(ए) यदि इन प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं हुआ तो ये 31 मार्च, 2002 तक लागू रहेंगे। यह जनहित में जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

(एस.बी. महापात्र)
विदेश व्यापार महानिदेशक

प्रति: सभी संबंधित
आदेशानुसार इत्यादि
(एस.पी. शर्मा)
उप महानिदेशक, विदेश व्यापार
(फाइल संख्या आई.पी.सी/4/5/(246)/90-93)
से जारी किया गया)
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सार्वजनिक नोटिस संख्या 107/3/88-एफ (1) दिनांक 21 जनवरी, 1988, सार्वजनिक नोटिस संख्या 105/3/86-एफ (1) दिनांक 21 जनवरी, 1988 में घोषित फीचर फिल्मों के आयात और फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकार तथा उनके वितरण और मूल्य निर्धारण की नीति के खण्ड-4 के उपखण्ड (ए) (बी) के कार्यान्वयन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय उक्त कुछ खण्डों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों की अधिसूचना जारी करता है:

1. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह
2. फिल्मोत्सव, भारत
3. बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जर्मनी
4. एत्वरप फिल्म समारोह, बेल्जियम

5. सैन फ्रांसिस्को फिल्म समारोह, अमरीका

6. हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, हांगकांग

7. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कॉन, फ्रांस

8. मेलबार्न फिल्म समारोह, ऑस्ट्रेलिया

9. सिडनी फिल्म समारोह, ऑस्ट्रेलिया

10. ली रोसेल फिल्म समारोह, फ्रांस

11. मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, सोवियत संघ, रूस

12. लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, स्विट्जरलैंड

13. ला बिनाले डी वैनेजिया- मोस्त्रा इंटरनेशनलस डेल सिनेमा, वेनिस, इटली

14. टोरोंटो फिल्म समारोह, कनाडा

15. मैनहेम फिल्म समारोह, संघीय गणराज्य जर्मनी

16. तोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जापान

17. विश्व फिल्म समारोह, मोंटारियल, कनाडा

18. लंदन फिल्म समारोह, ब्रिटेन

19. रिओ द जिनोरो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन और वीडियो समारोह, बन्नजील

20. हवाई फिल्म समारोह, हवाई

21. नैन्ट्स फिल्म समारोह, फ्रांस

22. शिकागो फिल्म समारोह, अमरीका

23. वैनकूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कनाडा

24. काहिरा फिल्म समारोह, मिस्र

25. टैल्यूराइड फिल्म समारोह, अमरीका

26. रौटरडॅम फिल्म समारोह, हॉलैण्ड

27. सैन सेवास्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, स्पेन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सार्वजनिक नोटिस संख्या 107/3/88-एफ (1) दिनांक 30 दिसम्बर, 1988

सार्वजनिक नोटिस संख्या 105/3/86-एफ (1) दिनांक 21 जनवरी, 1988 में घोषित फीचर फिल्मों के आयात और फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकार तथा उनके वितरण और मूल्य निर्धारण की नीति के खण्ड-4 के उपखण्ड (ए) और (बी) के कार्यान्वयन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय उक्त उपखण्डों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों की अधिसूचना जारी करता है:

1. कार्लोनी वैरी इंटरनेशनल फिल्म समारोह, चेकोस्लोवाकिया

2. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, बसेल्स, बेल्जियम

3. बेलग्रेड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, युगोस्लोवाकिया

4. मियामी फिल्म समारोह, अमरीका

5. विआना फिल्म समारोह, आस्ट्रिया

6. फिल्मसीट म्यूनिख, म्यूनिख, संघीय गणराज्य जर्मनी

7. कार्क फिल्म समारोह, आयरलैण्ड

8. ताओरमिना अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा समारोह, इटली

9. न्यूयॉर्क फिल्म समारोह, अमरीका

10. वाशिंगटन फिल्म समारोह, अमरीका

11. हवाना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, क्यूबा

12. सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, सिंगापुर

13. ताशकंत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, सोवियत संघ, रूस

भारत सरकार के राजपत्र – असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग-1 खण्ड-1)

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय
सार्वजनिक नोटिस संख्या 2(आई.ई. 99)/1997-2000
नई दिल्ली, 31 मार्च, 1999

विषय: सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और वीडियो फिल्मों का आयात

भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खण्ड-3 उपखण्ड (क्ष) वीडियो एस.ओ. संख्या 283(ई) दिनांक 31.03.1997 में अधिसूचित निर्यात और आयात नीति के पैरा 4-11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं कि सार्वजनिक नोटिस संख्या 4(पी.एन)/97-02 दिनांक 31 मार्च, 1997 और फिर सार्वजनिक नोटिस संख्या 43(पी.एन)/97-02 दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 द्वारा संशोधन किए गए, में जहां पर भी वीडियो फिल्म शब्द हों, उनके स्थान पर “अन्य (वीडियो टेप, कंपेक्ट वीडियो डिस्क, लेजर वीडियो डिस्क या डिजीटल वीडियो डिस्क समेत) ” शब्द रखे गए हैं।

यह जनहित में जारी किया जा रहा है –

(एन. लखनपाल)
विदेश व्यापार महानिदेशक

प्रतिः सभी संबंधित

आदेशानुसार इत्यादि

(एन.पी.एस. मोंगा)

संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार,

फिल्मों के आयात के दिशा-निर्देश,

भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग-1 खण्ड-1)

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक नोटिस संख्या 8(पी.एन.)/97-02

नई दिल्ली, दिनाकं 6 मई, 1997

विषयः निर्यात और आयात नीति अप्रैल, 1997 – मार्च, 2002 - सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और वीडियो फिल्मों के आयात की नीति

वाणिज्य मंत्रालय के सार्वजनिक नोटिस संख्या 4 (पी.एन.)/97-02 दिनांक 31 मार्च, 1997, जिसमें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिष्ठित फिल्म पत्रिकाओं की सूची दी गई हैं, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। निर्यात और आयात नीति 1997-2002 के पैरा 4-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतदद्वारा अधिसूचित करते हैं कि सार्वजनिक नोटिस संख्या 4 (पी.एन.)/97-02 दिनांक 31 मार्च, 1997 के संलग्नक को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया गया है –

अनुबंध

....